गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना में काम शुरू करने की स्वीकृति

599. **श्री लक्ष्मण कर्मा**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980–81 के दौरान बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना की निक्षेप संख्या 11–सी में काम शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में कब तक काम शुरू हो जाने की आशा है;

(ग) इस निक्षेप संख्या 11–सी में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) क्या आदिवासी और हरिजनों के लिए आरक्षित कोटा, जो अब तक नहीं भरा गया है, इस योजना में भर दिया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य जनवरी, 1981 में आरम्भ किया गया था ।

(ग) चूंकि यह खान बैलाडिला–14 के बदले शुरु की गई है अतः बैलाडिला–14 के कर्मचारियों को इस खान में लगाया जायेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 1740 है । लगभग 150 श्रमिक और रखे जायेंगे ।

(घ) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार मिल गये तो इन जातियों के लिए निर्धारित कोटा पूरा भर लिया जायेगा ।

भिलाई और एच० ई० एल०, भोपाल में कर्मचारियों की संख्या

600. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के भिलाई और एच० ई० एल० भोपाल में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन में से आरक्षित कोटे के अन्तर्गत हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई और एच० ई० एल० फैक्ट्रियों में हरिजनों और आदिवासियों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन की श्रेणी-वार प्रतिशतता क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :(क) से (ग) सम्भवतः इस का सम्बन्ध भिलाई इस्पात संयंत्र और बी० एच० ई० एल० भोपाल से है । बी० एच० ई० एल० ने बताया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के आदेशों का उन के द्वारा पालन किया जा रहा है । बी० एच० ई० एल० भोपाल, में काम कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

31-12-1981 को कर्मचारियों की कुल संख्या	18968
हरिजनों की संख्या (अनुसूचित जातियों)	2276
आदिवासियों की संख्या (अनु० जनजातियां)	568